इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219] भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 अप्रैल 2011— चैत्र 21, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. एफ-ए -3-36-2010-1-पांच (33).—यतः, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) (जो इसमें इसके पश्चात् अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 55-क और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अधीन विभिन्न ब्लाक अवधियों के ऐसे समस्त ब्लाक कर निर्धारण जिनका केलेण्डर वर्ष 2008 एवं 2009 की समाप्ति तक निपटारा किया जाना था किन्तु उक्त कालावधि के भीतर निपटाए नहीं जा सके थे और गुणागुण के आधार पर ऐसे ब्लाक कर निर्धारण में कर निर्धारण अधिकारियों को समर्थ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे ब्लाक कर निर्धारणों के निपटारे की विहित समय-सीमा को और आगे बढ़ाया जाए;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियमों के अधीन ऐसे प्रत्येक ब्लाक कर निर्धारण जिनका निपटारा 31 दिसम्बर 2008 तथा 31 दिसम्बर 2009 तक नहीं हो सका था, के निपटारे के लिए उक्त कालावधि को 31 दिसम्बर 2011 तक बढ़ाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. एफ-ए-3-36-2010-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-36-2010-1-पांच (33), दिनांक 11 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th April 2011

No. FA-3-36-2010-1-V(33).—WHEREAS, the State Government is satisfied that all such block assessments of different block periods under Section 55-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the Act) and the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), which were to be disposed of by the end of the calendar year 2008 and 2009 but could not be disposed of within the said period and that in order to enable the Assessing Officeres to dispose of such block assessments on merits, it is essential that the time limit prescribed for the disposal of such Block Assessments be extended further;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) the State Government, hereby, extends upto 31st December 2011 the period for disposal of every such Block Assessments under the said Acts, which were not disposed of by the 31st Decemeber 2008 and 31st December 2009.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.